फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : नारायणनाथ विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 08/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर नवीन भू–प्रबंधन के बाद प्रार्थी की खातेदारी आराजी का रकबा कम करने का कथन कहा गया जिस पर तहसीलदार कानोड़ को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया । तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार साबिक आराजी नंबर 2394 रकबा 12 बिघा 06 बिस्वा भूमि में नवीन भू–प्रबंधन के बाद प्रार्थी की आराजी का रकबा कम कर दिया गया जिस पर प्रार्थना पत्र पेश कर रकबा शुद्व किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि ग्राम हींता की जमाबंदी संवत् 2052–55 खाता संख्या 134 की आराजी नंबर 2394 रकबा 12 बिघा 06 बिस्वा भूमि मथरालाल, शंकरलाल पुत्र मोडा गाडरी के नाम दर्ज था। यह कि जरिये नामान्तरण संख्या 2692 आपसी सहमति विभाजन से उक्त आराजी नं. में से आराजी नं. 2394मी./2 रकबा 6 बिघा 3 बिस्वा मथुरालाल पिता मोडा गाडरी के नाम दर्ज हुआ एवं आराजी नं. 2394मी./1 रकबा 3 बिघा 3 बिस्वा, आराजी नं. 2394मी./3 रकबा 3 बिघा कुल किता 2 रकबा 6 बिघा 3 बिस्वा शंकरलाल पिता मोडा गाडरी के नाम दर्ज हुआ जो आगे जरिये नां. संख्या 2715 व 2929 बिकाव से आराजी न. 2394मी./1 रकबा 3 बिघा 3 बिस्वा नारायण नाथ पिता रामनाथ योगी, शम्भूसिंह पिता अभयसिंह राजपुत हि. ब. के नाम दर्ज हो गया तथा आराजी न. 2394मी./3 रकबा 3 बिघा नां. संख्या 2941, 3346 बिकाव से नारायणनाथ पिता रामनाथ योगी 5/8 शम्भूसिंह पिता अभयसिह राजपुत 3/8 के नाम दर्ज हो गया। नवीन बंदोबस्त बाद उक्त आराजी के नये आराजी नंबर 4251, 4252, 4262, 4264, 4265 किता 5 रकबा 1.83 हैक्टेयर पूर्ववत उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज करते हुए रकबे में 0.82 की कमी कर दी जिससे सहमति बंटवाडा एवं बिकाव के नामान्तरणकरणों का अमल रकबे में कमी के कारण वक्त सेग्रीगेशन के दौरान वर्तमान रेकर्ड में नहीं किया गया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा रिपोर्ट में बताया कि मौके पर उक्त आराजीयात पूर्व की स्थिति अनुसार ही वर्तमान में अवस्थित है एवं आसपास बिलानाम भूमि मौजूद नहीं है जिससे रकबे की पूर्ति की जा सके क्योंकि चारों ओर खातेदारी भूमि स्थित है जिनका रकबा भी पूर्ववत रकबे अनुसार ही है जिससे रकबे की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार कानोड़ से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया। हमने पाया कि प्रार्थी ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी खाते से भूमि कम हुई तो किस आराजी में कमी है। तहसीलदार के अनुसार मौके पर उक्त आराजीयात पूर्व की स्थिति अनुसार ही वर्तमान में अवस्थित है एवं आसपास बिलानाम भूमि मौजूद नहीं है जिससे रकबे की पूर्ति की जा सके। आस पास में किस आराजी में रकबा बढ़ा है यह प्रार्थी प्रमाणित नहीं कर पाया। प्रार्थना पत्र में मांगी गई दाद दिया जा पाना संभव नहीं है अतः प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं पाए जाने पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया।